न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः— सांवर मल वर्मा आई0ए0एस10)

अपील संख्याः— 125/2022 (18 आयुध अधिनियम 1959) (RCMS No.2022/130)

अजीतसिंह पुत्र श्री औनाडसिंह निवासी दौलतपुरा तहसील व पुलिस थाना खण्डार जिला सवाईमाधोपुर। .....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर। .....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर दिनांक 17.10.2022

उपस्थितिः—
1. श्री गंगाराम शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. सहायक लोक अभियोजक।

निर्णय

दिनांकः 27.12.2022

उक्त अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 17.10.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट अजीतसिंह का शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 179/बीएल/एसडब्लूएस/88 में दर्ज एक 12 बोर डीबीबीएल गन नम्बर 87904 जो दिनांक 31.12.2020 तक नवीनीकृत था। अपीलान्ट के द्वारा उक्त अनुज्ञापत्र को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण करने के लिये दिनांक 21.12.2020 को प्रार्थना पत्र तहत अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। इस संबध में जिला पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट/अनुज्ञाधारी के खिलाफ आपराधिक अभियोग दर्ज होने एवं न्यायालय में पेण्डिग चल रहे होने के कारण शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की गई। जिला पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर की रिपोर्ट दिनांक 03.09.2022 के आधार पर तहत अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.2022 पारित करते हुये अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया । इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। रैस्पोडेन्ट की ओर से सहायक लोक अभियोजक उपस्थित हुए। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकरण में लिखित बहस पेश करते हुए तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.2022 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। क्योंकि अपीलान्ट को सक्षम प्राधिकारी द्वारा हथियार का लाइसेन्स युवावस्था में सन् 1984 में जारी किया गया था तब से लेकर आज दिनांक तक अपीलान्ट द्वारा न तो अनुज्ञापत्र की किसी शर्त का उल्लघंन किया है और ना ही अपीलान्ट के विरूद्ध हथियार का दुरूपयोग करने की कभी कोई शिकायत ही प्राप्त हुई है। अपीलान्ट की उम्र 62 वर्ष है और वह अपने परिवार के साथ आबादी से 1 कि0मी0 दूर फार्म हाउस पर रहता है। जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर ने अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये और अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन एवं स्वतन्त्रता का अधिकार प्रदान करता है। शस्त्र अनुज्ञापत्र व्यक्तिगत सुरक्षा के लिये जांच के वाद प्रदान किया जाता है। व्यक्तिगत सुरक्षा के लिये शस्त्र रखना नागरिकों का वैधानिक अधिकार है। वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर ने केवल मात्र पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ही बिना न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो कि निरस्तनीय है। इस संबंध में वकील अपीलान्ट ने सिविल रिट पिटीशन नम्बर 44148/2008 हसीब अहमद उर्फ रस्सू बनाम कमिश्नर कानपुर व अन्य में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.2011 में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उक्त निर्णय में यह अवधारित किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट ने केवल पुलिस रिपोर्ट के आधार पर बिना तथ्यों पर अपनी संतुष्टि किये शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया है जो कि गलत है। जबकि अनुज्ञापत्र प्राधिकारी की किसी भी आदेश को पारित करने से पूर्व स्वयं की संतुष्टि होना आवश्यक है। वकील अपीलान्ट ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 15, 16 व 17 में दिये गये अभिमत का उल्लेख कर तर्क दिया कि जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व स्वयं की संतुष्टि नही की वरन् पुलिस से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ही आदेश पारित किया है जो कि उपरोक्त निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिपेक्ष्य में निरस्तनीय है।

वकील अपीलान्ट ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आई.ए. नम्बर 1915/2016 गुरूदेवसिंह बनाम राजस्थान सरकार व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 22.04.2016 के पैरा संख्या 5 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि आपराधिक मुकदमें का लम्बित रहना शस्त्र अनुज्ञापत्र के निलम्बन या निरस्तीकरण का आधार नहीं हो सकता। जबकि उक्त प्रकरण में अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण विचाराधीन होने के आधार पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है। अतः उक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिपेक्ष्य में भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

वकील अपीलान्ट ने माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन नम्बर 11343/2019 पवन कुमार जैन बनाम मध्यप्रदेश सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03.03.2022 के पैरा संख्या 6 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति का अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने/नवीनीकरण किये जाने से मना करने का पर्याप्त व उचित आधार होना आवश्यक है। इसके लिय आयुध अधिनियम 1959 की धारा 14, 15 व 17 में वर्णित प्रावधानों की पालना किया जाना आवश्यक है। परन्तु उक्त प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उक्त प्रावधानों की पालना किये बिना ही अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है। जो कि उक्त निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश में ऐसा कोई कारण अंकित नहीं किया जिससे यह स्पष्ट होता हो कि जन सुरक्षा एवं शांति हेतु शस्त्र अनुज्ञापत्र का निरस्तीकरण किया जाना आवश्यक हो। जबकि ए. आई.आर. 1968 केरला प्रष्ठ संख्या 65 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अनुज्ञापत्र को निरस्त किये जाने के आदेश में ही इस तथ्य का अंकन किया जाना आवश्यक है कि अनुज्ञापत्र के प्रभावी रहने से लोक शांति व सुरक्षा किस तरह से प्रभावित हो रही है। अतः इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि अनुज्ञापन प्राधिकारी को शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्तीकरण से पूर्व न्यायिक विवेक का प्रयोग कर प्रकरण के तथ्यों पर गंभीरता से विचार कर निर्णय करना चाहिये। यदि जन सुरक्षा एवं शांति के संबंध में कोई तथ्य नहीं है तो शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त नहीं किया जा सकता। उक्त तर्क के समर्थन में सिविल रिट नम्बर 6864/2014 रजव अली बनाम राज0 राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.10.2018, 2005(2)सी.आर.एल.आर.(राज0)पेज संख्या 907 निर्णय दिनांक 18.01.2005, एस.बी. सी. सिविल रिट पिटिशन नम्बर 7112/2014, ताहिर अली अंसारी बनाम राज0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16.10.2014 में प्रतिपादित सिद्धान्तों का हवाला दिया। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि बिना किसी साक्ष्य के मात्र पुलिस रिपोर्ट एवं जन सुरक्षा एवं शांति भंग होने के कयास के आधार पर शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त नहीं किया जा सकता। इस तर्क के समर्थन में वकील अपलान्ट द्वारा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रामप्रसाद बनाम आयुक्त व अन्य में सिविल रिट पिटीशन नम्बर 56378/2006 में पारित आदेश दिनांक 07.02.2020 में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया।

वकील अपीलान्ट ने ए.आई.आर. 1968 केरल सी.पी. रमन नायक बनाम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोजीकोड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.11.1966 में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उक्त नजीर में यह

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त किये जाने के संबंध में लोक सुरक्षा व शान्ति भंग नहीं होने का कारण उल्लेखित नहीं होने पर इस तरह का आदेश अवैध व शून्य प्रभाव लिये हुए माना गया है।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि अपीलान्ट द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र नियत समय अवधि में रैस्पोडेन्ट के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर ने पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर के यह सूचित करने मात्र से अपीलान्ट के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज हुई है जो कि लंबित है, के आधार पर शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया है। जबकि प्रकरण में वास्तविकता यह है कि अपीलान्ट के विरूद्ध सारी एफ.आई.आर. एकमात्र व्यक्ति श्री भूपेन्द्र सिंह यादव एवं उनकी पत्नी द्वारा जिनसे कृषि भूमि के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में मुकदमें चल रहे हैं, ने अपने पद का दुरूपयोग कर आधारहीन तथ्यों पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। दीवानी प्रकृति के मुकदमों को आपराधिक मुकदमा बनाकर एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है जिनमें जांच लंबित है। कोई भी ऐसा आपराधिक मुकदमा अपीलान्ट के विरूद्ध न्यायालय में दर्ज नही है जिसका कि लोक सुरक्षा एवं शांति भंग होने का कोई संबंध हो। जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर द्वारा उपरोक्त समस्त कार्यवाही भूपेन्द्र सिंह यादव जो उप पुलिस अधीक्षक के पद पर रहे हैं, के द्वारा पद का दुरूपयोग कर दर्ज कराई गई झूठी रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। जबकि श्री भूपेन्द्र सिंह द्वारा उक्त कार्यवाही अपीलान्ट की कृषि भूमि खरीदने व कब्जा करने की नीयत से करवाई गई है। शिकायतकर्ता श्री भूपेन्द्र सिंह यादव वर्तमान में भी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत है। उनका अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों से निकट का संबंध रहा है। अपीलान्ट व उनका परिवार आबादी से एक किलोमीटर दूर अपने फार्म हाउस पर रहता है। इसलिए अपीलान्ट व उसका परिवार को जान–माल का खतरा बना रहता है। इस कारण व्यक्तिगत एवं परिवार की सुरक्षा के लिये अपीलान्ट के पास शस्त्र व शस्त्र अनुज्ञापत्र होना आवश्यक है।

वकील अपीलान्ट ने उनकी ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में वर्णित इस तथ्य की ओर भी ध्यान आकर्षित किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में श्री भूपेन्द्र यादव के विरूद्ध चल रहे मुकदमें में अपने आदेश दिनांक 19.07.2022 में यह अंकित किया है कि ..." Respndant No. 2 (Shri Bhupendra Yadav) being a police officer misused his position and lodged several FIRs against petitioner which on record...." पुलिस विभाग ने भी अपनी विजीलेन्स/एन्टीकप्शन जांच में माना है कि श्री भूपेन्द्र यादव ने अनेकों व्यक्तियों के विरूद्ध एफ आई आर दर्ज करायी थी और पद का दुरूपयोग किया है। इसके संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.07.2022 की प्रमाणित प्रति व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रेंज भरतपुर की ओर से उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर को पत्र कमांक

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

1234 दिनांक 15.09.2011 के द्वारा भिजवाई गयी रिपोर्ट की प्रति जो कि मीमो आफ अपील के साथ संलग्न है, का भी उल्लेख किया।

अन्त में वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि उक्त तथ्यों एवं माननीय विभिन्न न्यायालयों की ओर से पारित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.2022 अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं कानूनी प्रावधानों पर गौर किये बिना मात्र एफ आई आर दर्ज होने के आधार पर पारित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर ने आदेश पारित करने से पूर्व अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं करके यान्त्रिक रूप से आदेश पारित किया है। इस कारण अपीलान्ट के सुरक्षा एवं स्वतन्त्रता के मूल अधिकार का हनन हुआ है और अपीलान्ट एवं उसके परिवार की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.2022 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को नवीकृत किये जाने के आदेश दिये जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए सहायक लोक अभियोजक द्वारा तर्क दिया गया है कि तहत अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.2022 विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही पारित किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की किसी प्रकार के कोई आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलान्ट अजीतसिंह का शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 179/बीएल/एसडब्लूएस/88 में दर्ज एक 12 बोर डीबीबीएल गन नम्बर 87904 जो दिनांक 31.12.2020 तक नवीनीकृत था। अपीलान्ट के द्वारा उक्त अनुज्ञापत्र को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण करने के लिये दिनांक 21.12.2020 को प्रार्थना पत्र तहत अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। चूंकि जिले में शान्ती एवं कानून व्यवस्था कायम रखने के लिये जिला पुलिस अधीक्षक एक जिम्मेदार अधिकारी है इसलिऐ इस संबध में जिला पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर की रिपोर्ट दिनांक 3.9.2022 के अनुसार अपीलान्ट/अनुज्ञाधारी के खिलाफ निम्न लिखित आपराधिक अभियोग दर्ज होने पाये गये–

1. अभियोग संख्या 296/19 धारा 447, 34 भादसं में दर्ज हुआ जो पेण्डिग है।
2. अभियोग संख्या 03/20 धारा 420, 467, 463, 471, 120 बी भादसं में दर्ज हुआ जो पेण्डिग पुलिस है।
3. अभियोग संख्या 39/20 धारा 420, 467, 463, 471, 120 बी भादसं में दर्ज हुआ जो पेण्डिग पुलिस है।
4. अभियोग संख्या 277/20 धारा 420, 467, 463, 471, 120 बी भादसं में दर्ज हुआ जो पेण्डिग पुलिस है।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

5. अभियोग संख्या 22/21 धारा 420, 467, 463, 471, 120 बी भादसं में दर्ज हुआ जो पेण्डिग पुलिस है।
6. अभियोग संख्या 152/20 धारा 451, 453, 456, 427, 379, 120 बी भादसं में दर्ज हुआ जो पेण्डिग पुलिस है।
7. अभियोग संख्या 162/21 धारा 420, 447, 448, 379, 120 बी भादसं में दर्ज हुआ जो पेण्डिग पुलिस है।

अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज उपरोक्त सभी मुकदमें माननीय न्यायालय में पेण्डिग चल रहे है। इसलिए अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नहीं किये जाने की जिला पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर द्वारा अनुशंषा की गई थी। तथा अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण किये जाने से इन्कार किया गया था। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी किये गये तथा सुनवाई का समुचित अवसर भी प्रदान किया गया है। अपीलान्ट के द्वारा नोटिस का जबाब भी तहत अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया है इसलिए वकील अपीलान्ट का यह कथन कि अपीलान्ट को सुना नहीं गया, आधारहीन है। जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर की रिपोर्ट दिनांक 03.09.2022 व अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत जबाब में वर्णित तथ्यों का भलीभांति अवलोकन करने व विवेचन करने के बाद न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग करते हुए कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर द्वारा बाद परीक्षण अपीलधीन आदेश दिनांक 17.10.2022 को पारित किया गया है जो कि विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज की जावे एवं तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.2022 यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक व सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गई तथा मनन किया गया। वकील अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस व इसके साथ संलग्न संदर्भित नजीरों व अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट जिसके पक्ष में 12 बोर का अनुज्ञापत्र संख्या 179/बी.एल./एस.डब्ल्यू.एम./88 जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर द्वारा जारी किया हुआ था, का दिनांक 31.12.2020 तक नवीनीकरण था, के अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण किये जाने हेतु अपीलान्ट की ओर से जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिनांक 21.12.2020 को प्रस्तुत किया गया। जिसके साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि शस्त्र अनुज्ञापत्र दिये जाने की तिथि से वे किसी आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध नहीं है, उनके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक अभियोजना लंबित नहीं है, किसी आपराधिक प्रकरण में उनके विरूद्ध कोई अन्वेषण लंबित नहीं है एवं उनके विरूद्ध दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 107 के अंतर्गत शांति भंग की आशंका बाबत् कोई प्रकरण लंबित नहीं है।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के आवेदन पत्र पर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय सवाई माधोपुर की ओर से पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसमें पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर की ओर से पत्र दिनांक 02.03.2021 के द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध मुकदमा नंबर 296/19 धारा 447, 34 आई.पी.सी., मुकदमा नंबर 3/20 धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी अंतर्गत आई.पी.सी. मुकदमा नंबर 39/20 धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी, अंतर्गत आई. पी.सी. मुकदमा नंबर 277/20 धारा 420, 466, 471, 120 बी, अंतर्गत भादस व मुकदमा नंबर 22/21 धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी अंतर्गत भादस दर्ज हुआ है जो पुलिस जांच में विचाराधीन है। इसलिए अपीलान्ट के शस्त्र का नवीनीकरण नहीं किया जावे। पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट का जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय सवाई माधोपुर में कराये गये विधिक परीक्षण में इस आशय की राय प्राप्त होने पर कि आवेदक को प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद अनुज्ञापत्र नवीनीकरण/निलम्बन के बारे में सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाना उचित रहेगा, के आधार पर अपीलान्ट को जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय सवाई माधोपुर की ओर से पत्र कमांक प.21(37)/शस्त्र/नवीनी./न्याय/2021/2425 दिनांक 30.03.2021 के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। जिसमें पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर से प्राप्त प्रकरणों का हवाला देते हुए जबाब प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई। अपीलान्ट की ओर से जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय सवाई माधोपुर में नोटिस का जबाब दिनांक 07.04.2021 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध जो भी प्रकरण पेडिंग है वे पूरे प्रकरण सिविल केस को लेकर हैं। तथा एक ही व्यक्ति द्वारा किये हुए हैं। इसके व अपीलान्ट के बीच जमीन संबंधी विवाद है। उसको लेकर रोज कुछ न कुछ केस करता रहता है। उनमें कईयों में तो एफ.आर. लग चुकी है व कई पेडिंग चल रहे हैं। अतः उनके अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण किया जावे। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत जबाब के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के कार्यालय की ओर से पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर से पुनः रिपोर्ट चाही गई। जिसमें पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर ने पत्र कमांक 6587 दिनांक 03.09.2022 के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट भिजवाई गई कि अपीलान्ट के विरूद्ध अभियोग संख्या 296/19, 03/20, 39/20, 277/20, 22/21, 152/21 व 162/21 कुल 7 प्रकरण दर्ज हैं। आवेदक के उपरोक्त सभी मुकदमे न्यायालय में पेडिंग चल रहे हैं। अतः आवेदक के शस्त्र अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं रहेगा। पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट का पुनः जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय सवाई माधोपुर में विधिक परीक्षण कराया गया। जिसमें इस आशय की राय प्राप्त हुई कि प्रार्थी/आवेदक के विरूद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। तथा कोर्ट में पेण्डिग चल रहे है। अतः शस्त्र लाईसेन्स नवीनीकरण किया जाना उचित नही है। उक्त विधिक राय पर जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर ने न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग करने के बाद अपीलाधीन निर्णय

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

दिनांक 17.10.2022 को पारित किया है। जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नजर नहीं आती है। क्योंकि अपीलान्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के कार्यालय में नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्न शपथ पत्र में उसके विरूद्ध किसी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होने या अन्वेषण लंवित नहीं होने का उल्लेख किया है। जबकि पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवेदक के विरूद्ध 7 प्रकरण दर्ज थे जिनमें कि अन्वेषण लंवित है। अपीलान्ट द्वारा अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं। जहां तक अपीलान्ट को आयुध अधिनियम के तहत सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर नहीं दिये जाने का प्रश्न है तो उक्त तर्क भी इसलिए सारहीन हो जाता है क्योंकि पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर से रिपोर्ट प्राप्त होने के वाद अपीलान्ट को जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के कार्यालय से सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस जारी किया गया है। जिसका अपीलान्ट की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया है। प्राप्त जवाव का जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय सवाई माधोपुर में विधिक परीक्षण करवाने के वाद पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर से जबाव के संवंध में रिपोर्ट प्राप्त की गयी है। पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 03.09.2022 का भी विधिक परीक्षण करवाने के बाद यह मानते हुए कि अपीलान्ट के विरूद्ध गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज है तथा कोर्ट में पेडिंग चल रहे हैं। इसलिए अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं मानकर जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.2022 के द्वारा अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने का आदेश दिया है।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

जहां तक वकील अपीलान्ट द्वारा बहस में संदर्भित विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का प्रश्न है तो उक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से हम सादर सहमत है। परन्तु उक्त प्रकरण में अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिया गया है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व प्रकरण का कार्यालय स्तर पर विधिक परीक्षण करवाने व न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग करने के बाद जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली में स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित है कि अपीलान्ट/आवेदक के विरूद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं तथा कोर्ट में पेण्डिग चल रहे हैं। इस कारण शस्त्र लाईसेन्स का नवीनीकरण किया जाना उचित नही है। अतः अनुज्ञापत्र को निरस्त किये जाने के कारण भी पत्रावली में अंकित है। इसलिए विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा बहस में वर्णित नजीरों में वर्णित तथ्य उक्त प्रकरण से भिन्न होने के कारण इस प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा नहीं होते हैं। इसी प्रकार वकील अपीलान्ट की ओर से दिया गया यह तर्क कि अपीलान्ट के विरूद्ध एक ही व्यक्ति द्वारा प्रकरण

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

दर्ज करवाये गये हैं। तथा शिकायतकर्ता के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी आदेश दिनांक 19.07.2022 के द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी की गयी है व आचरण के संबंध में रिपोर्ट भिजवाई गई है तो इससे अपीलान्ट अनुज्ञापत्र धारण करने का अधिकारी नहीं हो जाता है। क्योंकि आयुध अधिनियम के तहत अनुज्ञापन प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार प्राप्त है कि अनुज्ञापत्र जारी करने/नवीनीकरण किये जाने के संबंध में न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग करते हुए निर्णय पारित करें। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट के विरूद्ध विभिन्न तरह के 7 प्रकरण दर्ज होने, अनुसंधान लंबित होने व नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में गलत तथ्य प्रस्तुत किये जाने के आधार पर अपीलान्ट को अनुज्ञापत्र धारण का अधिकारी नहीं माना जा सकता है। अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज विभिन्न प्रकरण पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 03.09.2022 के अनुसार अनुसंधानाधीन है। तथा सभी प्रकरण भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज किये गये हैं। स्वयं अपीलान्ट ने यह स्वीकार किया है कि उसके विरूद्ध कई प्रकरण दर्ज है जिनमें पुलिस अनुसंधान संबंधी कार्यवाही चल रही है। ऐसी स्थिति में यह कहा जाना कि लोक शांति या सुरक्षा भंग नही होगी उचित नहीं है। अपीलान्ट शिकायतकर्ता श्री भूपेन्द्र सिंह के विरूद्ध सक्षम न्यायालय/कार्यालय में कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है परन्तु इस आधार पर की श्री भूपेन्द्र सिंह द्वारा उसके विरूद्ध गलत प्रकरण दर्ज करवाये गये हैं, के कारण अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण किया जाना चाहिये, उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.10.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर